(9)

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष–एम0के0सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1351–दो/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.05.2001 पारित द्वारा अपर बन्दोवस्त आयुक्त, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण कमांक 75/अपील/1995–1996.

1– राधा किशुन
2– लक्ष्मीनारायण
3– श्री कृष्ण
पुत्रगंण श्री नाथूराम
4– अरूण कुमार
5– अरविन्द कुमार
नाबालिग पुत्रगंण श्री नाथूराम
सरपरस्त भाई श्री कृष्ण
सभी निवासीगंण ग्राम लहार
जिला भिण्ड म0प्र0

--- आवेदकगंण

विरूद्ध

1– मुस. सुशीला देवी बेवा बृजकिशोर
2– वेद प्रकाश
3– सत्येन्द्र कुमार
नाबालिग पुत्रगंण बृजकिशोर सरपरस्ती
मां सुशीला देवी
सभी निवासीगंण ग्राम लहार जिला भिण्ड म0प्र0

--- अनावेदकगण

आवेदक अधिवक्ता श्री आर0डी0 शर्मा
अनावेदकगण एक पक्षीय है

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8 –5–2016 को पारित)

यह निगरानी अपर बन्दोबस्त आयुक्त, म0प्र0, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 75/अपील/95–96 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2001 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील लहार में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 11/21, 45, 50 कुल रकवा 1.339 है0 तथा इसी मौजे की भूमि सर्वे कमांक 133, 140, कुल किता 02 कुल रकवा 3.729 है0 में 314 भाग जो कि निगरानीकर्तागण के पिता नाथूराम के भूमिस्वामित्व की थी । नाथूराम की मृत्यु हो जाने के कारण प्रश्नाधीन भूमियों पर वारिसान के आंधार पर नामांतरण कराये जाने वावत् आवेदन पत्र निगरानीकर्तागंण द्वारा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। गैरनिगरानीकर्तागंण द्वारा नामान्तरण प्रकरण में आपत्ति इस आधार पर प्रस्तुत की गयी कि मृतक नाथूराम के पुत्र ब्रजकिशोर जो कि फौत हो चुके हैं, उनके वारिस होकर प्रश्नाधीन भूमियों पर उनके नाम भी नामांतरण किया जावे। सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 52/अ–6/93–94 में पारित आदेश दिनांक 16.08.95 से निगरानीकर्तागंण तथा गैरनिगरानीकर्तागंण के नाम नामान्तरण स्वीकार किया गया। सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16. 08.95 से परिवेदित होकर निगरानीकर्तागंण द्वारा अपील बन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण कमांक 77/अपील/94–95 पर दर्ज करते हुये दिनांक 30.05.96 से निरस्त की गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्तागंण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त बन्दोबस्त, म0प्र0, ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपर बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 75/अपील/95–96 पर दर्ज

करते हुये आदेश दिनांक 24.05.2001 से खारिज की गयी। उक्त आदेश से परिवेदित होकर निगरानीकर्तागंण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3- निगरानी मेमो में लिखे गये तथ्यों के संबंध में उभय पक्षकारों के अधिवक्तागंणों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया।

4- आवेदकगंणों के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह बताया है कि प्रश्नाधीन भूमियां मृतक नाथूराम के भूमिस्वामित्व की थीं, जो कि निगरानीकर्तागंण के पिता हैं। नाथूराम की मृत्यु हो जाने के बाद निगरानीकर्तागंण के द्वारा नामांतरण किये जाने का आवेदन पत्र सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा निगरानीकर्तागंण के साथ साथ गैरनिगरानीकर्तागंण के नाम नामांतरण स्वीकार करने में भूल की गयी है। यह भी पाया है कि प्रश्नाधीन भूमियों पर गैरनिगरानीकर्तागंण के पति/पिता बृजकिशोर का कोई हक नहीं था क्योंकि वह पूर्व में ही आपसी मौखिक विभाजन द्वारा अपना हिस्सा लेकर अलग हो गया था। इस तर्क के संबंध में निगरानीकर्तागंण अधिवक्ता द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें आपसी घरू बंटवारा हुआ हो, या किसी प्रकार का कोई अनुबन्ध हुआ हो, ऐसा प्रमांण अभिलेख में प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। साक्ष्य के अभाव में निगरानीकर्तागंण के अधिवक्ता का यह तर्क महत्वहीन है।

5- निगरानीकर्तागंण के अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह बताया है कि इन्हीं प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में सिविल वाद लंबित है और सिविल वाद लंबित रहते नामांतरण नहीं किया जा सकता है, जब तक कि सिविल वाद का अंतिम निराकरण नहीं हो जाता। निगरानीकर्तागंण के अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार्य योग्य नहीं है। अपर बन्दोबस्त आयुक्त, म0प्र0, ग्वालियर द्वारा अपने विचाराधीन आदेश में स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया है कि सिविल न्यायालय में प्रकरण लंबित रहने के कारण नामांतरण की कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता है। इस संबंध

में अनेक न्यायिक सिद्धांत जैसे 1976 रे0नि0 407, 1980 रे0नि0 277, 1976 रे0नि0 475 आदि का उल्लेख किया गया है। 2010 रे0नि0 320 में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 109 तथा 110 नामांतरण कार्यवाही- सिविल वाद भी लंबित- सिविल न्यायालय द्वारा जब तक कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया जाता जो राजस्व न्यायालय पर आबद्धकर हो - नामांतरण कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती। इस प्रकार अपर बन्दोबस्त आयुक्त, म0प्र0, ग्वालियर द्वारा विचाराधीन आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर बन्दोबस्त आयुक्त, म0प्र0, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2001 विधिसम्मत होने से यथावत् रखा जाता है तथा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।

एम0 के0 सिंह
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर